FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पटवारी हल्का सिमारला जागीर बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा–विविध प्रार्थना पत्र अधा 131,132 एल.आर.एक्ट. मुकदमा नम्बर 67/2024

क्रम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 1497/भू0अ0/2024 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम सिमारला जागीर पटवार हल्का सिमारला जागीर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 660, 654, 653 में से जा रहे ग्राम सिमारला जागीर में मीणा की ढ़ाणी से नवौड़ी की ढाणी तक जाने वाले प्रचलित चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, सहमति पत्र (संबंधित खातेदार) अनापत्ति प्रमाण पत्र एंव अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003 /पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावों व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। रास्ते के मौके पर [illegible] से चालू होने, लोगों के सार्वजनिक [illegible] की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.12 12:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	पटवारी हल्का [illegible] जागीर [illegible] [illegible] [illegible] — 67/2024

अत: प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण मे विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.12 12:06:29 IST
Reason: SelfAttested